

पत्रांक- 11 न०वि० अभि०(को०) 10/2018 (पार्ट-III) 1344 न०वि० एवं आ०वि०
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
 बिहार शहरी विकास अभिकरण,
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
 नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
 जिला शहरी विकास अभिकरण,
 पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 24/10/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के ग्रुप सं०-63 के कार्य वार्ड सं०-37 में मुजरापट्टी अजीत के दुकान से शिव मंदिर होते हुए रेणु के घर तक पी०सी०सी० एवं नाला निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में। (अनियोजित अभियंता)

प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक-436 दिनांक-23.05.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-733 दिनांक-18.06.2018 एवं पत्रांक-754 दिनांक-19.06.2018 तथा पत्रांक-922 दिनांक-20.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्राप्त परिवाद की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित परिवाद समिति द्वारा दिनांक-28.09.2018 को आहूत बैठक में की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निविदाकारों के निविदा कागजातों की पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा समीक्षोपरान्त आपत्तिकर्ता/परिवादी (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं (2) श्री अशोक कुमार सिंह के निविदा कागजातों को निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त आपत्ति/परिवाद को अमान्य करने की अनुशंसा की गयी, जिस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करने के कारण)
63.	नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत वार्ड सं०-37 में मुजरापट्टी अजीत के दुकान से शिव मंदिर होते हुए रेणु के घर तक पी०सी०सी० एवं नाला निर्माण कार्य (अनियोजित अभियंता)।	(1) श्री बिमलेन्दु कुमार बिमल उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर	(1) श्री अशोक कुमार सिंह उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर (निबंधन सामान्य श्रेणी में रहने के कारण अमान्य) (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर (निबंधन सामान्य श्रेणी में रहने के कारण अमान्य) (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

उक्त तीन निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकार की निविदा मान्य रहने एवं प्रथमबार निविदा आमंत्रित रहने के कारण पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं०-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द किया जाता है एवं पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S (एक मुश्त राशि) के रूप में दर अंकित कर दिया गया है। अतः पुनर्निविदा आमंत्रण के समय अनुमोदित परिमाण विपत्र से L/S मद की राशि हटाकर परिमाण विपत्र अपलोड किया जाय।

विषयांकित योजना हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक-731 दिनांक-18.06.2018 को यथावत समझा जाय।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
① बिहार, पटना।